136/2021

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/9/22 दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई,बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया कि वादीगण की ओर से ग्राम पनोतडी नाडी पटवार मण्डल टापरा की खेत खसरा संख्या 934/447 रकबा 81–13 बीघा व खसरा संख्या 587 रकबा 26–16 बीघा कुल रकबा 108–09 बीघा भूमि वादीगण की बतौर खातेदारी इन्द्राज करवाते हुए रेकर्ड दुरस्ती की मुख्य इस्तदुआ चाही गई है,जो मूलवाद में साक्ष्य व सबूतों के आधार पर तय होगा कि वादीगण वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषणा करवाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है। जहां तक अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न है यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध जाता है। वकील प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया,जिससे स्पष्ट हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना अति आवश्यक हो। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बा...	

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:03:26 IST
Reason: SelfAttested